विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अक्तूबर, 2020

संख्याः एल0एल0आर0—डी0(6)—15/2020—लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17—10—2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा.

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

2020 का अधिनियम संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2020

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2020 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. सक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
- 2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ञ—ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - ''(ञ—ङ) किसी नए यान के सम्बन्ध में ''मोटरयान की कीमत'' से, फैक्टरी रेट पर लागू करों से पूर्व यान की एक्स—फैक्टरी कीमत अभिप्रेत है।''।
- 3. **धारा 3 का संशोधन.—**(1) मूल अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

- "(2) राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर साइकिल / स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1986 का 59) की धारा 41 की उप—धारा (3) के अधीन रिजस्ट्रीकरण करवाते समय ऐसे मोटर साइकिलों / स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों की कीमत के आधार पर, उनकी कीमत के कम से कम छह प्रतिशत और अधिक से अधिक पंद्रह प्रतिशत के अध्यधीन, यान के क्रय की तारीख से पंद्रह वर्ष की अविध के लिए ऐसी दर से कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (3) उप—धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित पर कर उद्गृहीत्, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा,—
 - (क) मोटर कैबज या मैक्सी कैबज जो निजी मोटर यानों के रूप में संपरिवर्तित किए जाने हेतु अनुज्ञात हैं; और
 - (ख) ऐसे मोटरयान जो प्रारम्भ में किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत हैं, किन्तु स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य को लाए जा रहे हैं, को प्रथम बार यहां रजिस्ट्रीकृत किया जाना है; और
 - (ग) पहले से ही रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों और जो ऐसे मोटरयानों पर पंद्रह वर्ष की अतिशेष अविध के लिए ऐसी दर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे मोटरयान की कीमत के अधिकतम पंद्रह प्रतिशत के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर कर संदत्त करते हुए, मोटरयान की मूल कीमत से आढ प्रतिशत प्रतिवर्ष अवक्षयण कटौती के पश्चात् कराधान प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाना है, परन्तु:
 - (i) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दो लाख पचास हजार रुपये तक है, निम्नतम कीमत पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी. या
 - (ii) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, किन्तु पांच लाख पचास हजार रुपये से अनधिक है, निम्नतम कीमत एक लाख रुपये से कम नहीं होगी, या
 - (iii) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत पांच लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, किन्तु दस लाख पचास हजार रुपये से अनधिक है, निम्नतम कीमत दो लाख रुपये से कम नहीं होगी, या
 - (iv) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दस लाख रुपये से अधिक है, निम्नतम कीमत चार लाख रुपये से कम नहीं होगी, या
 - (v) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत बीस लाख रुपये से अधिक है, निम्नतम कीमत आठ लाख रुपये से कम नहीं होगी. या

- (vi) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत पचास लाख रुपये से अधिक है, निम्नतम कीमत बीस लाख रुपये से कम नहीं होगी, या
- (vii) दुपहिया वाहनों की दशा में, निम्नतम कीमत पांच हजार रुपये से कम नहीं होगी।
- (4) उप—धारा (2) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर साइकिलों / स्कूटरों, निजी मोटर यानों, प्राइवेट सेवा मोटर कैंबज या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (10) (1988 का 59) के अधीन ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किन्तु ऐसी मोटर साइकिलों / स्कूटरों, निजी मोटर यानों, प्राइवेट सेवा मोटर कैंबज या विनिर्माण उपस्कर यानों के प्रथम रिजस्ट्रीकरण के समय संदत्त कर से अनधिक कोई कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।"।
- 4. धारा 7—क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 7—क की उप—धारा (6) में, ''छमाही किश्तों'' और ''25 प्रतिशत'' शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः ''नियमित देय कर सहित चतुर्मासिक किस्तों'' और ''पचपन प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act. No. 8 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2020

(As ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH OCTOBER, 2020)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

- **1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2020.
- **2. Amendment of section 2.**—In section 2 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act,1972 (4 OT 1973) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (J-e), the following shall be substituted, namely:—

- "(J-e) "Price of motor vehicle" in relation to a new vehicle means the ex-factory price of vehicle at the factory gate before applicable taxes.".
- **3.** Amndment of section 3.—(1) In section (3), of the principal Act, for sub-sections (2), (3) and (4), the following shall be substituted, namely:—
 - "(2) There shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for a period of fifteen years from the date of purchase of vehicle at the time of registration under sub-section (3) 59 of 1988 of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988) at the rates as may be specified by the State Government, by notification, on the basis of the price of such motor cycle/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, subject to the minimum of six percent and maximum of fifteen percent of the price thereof.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on,—
 - (a) motor cabs or maxi cabs which are allowed to be converted as personal motor vehicles;
 - (b) motor vehicles initially registered in any other State but being moved permanently to the State of Himachal Pradesh to be registered here for the first time; and
 - (c) Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles already registered and paying tax on an annual basis for the remaining period of fifteen years, at the rates, as may be specified by the State Government, by notification, subject to maximum fifteen percent of the price of such motor vehicles to be determined by the taxation authority after deducting eight percent depreciation per annum from the original price of the motor vehicle provided that:
 - (i) in the case of motor vehicles having original price up to two lakh fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than fifty thousand rupees, or
 - (ii) in the case of motor vehicles having original price more than two lakh fifty thousand rupees but not exceeding five lakh fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than one lakh rupees, or
 - (iii) in the case of motor vehicles having original price more than five lakh fifty thousand rupees but not exceeding ten lakh rupees, the floor price shall not be less than two lakh rupees, or
 - (iv) in the case of motor vehicles, having original price more than ten lakh rupees, the floor price shall not be less than four lakh rupees, or
 - (v) in the case of motor vehicles, having original price more than twenty lakh rupees, the floor price shall not be less than eight lakh rupees, or

- (vi) in the case of motor vehicles, having original price more than fifty lakh rupees, the floor prices shall not be less than twenty lakh rupees, or
- (vii) in the case of two wheelers, the floor price shall not be less than five thousand rupees.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (3), there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/ scooters, personal motor vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for every further period of five years from the date of their renewal of certificate of registration under sub-section (10) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) at the rates as may be specified by the State Government, by notification, but not exceeding to the tax paid at the time of first registration of such motor cycles/scooters, personal motor vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles."
- **4. Amendment of Section 7-A.**—In Section 7-A of the principal Act, in sub-section (6), for the words "six monthly instalments" and "twenty five percent", the words "four monthly instalments alongwith regular tax due" and "fifty five percent" shall be substituted respectively.